

सं. 1/ 27/2011- पी एंड पी डब्ल्यू (ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 01 जुलाई, 2013

कार्यालय जापन

विषय : स्थाई निःशक्त बच्चे/सहोदर और आश्रित माता-पिता के लिए पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित निर्देश । इस विभाग के दिनांक 03.08.2011 का का.जा.सं. 1/19/11- पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 22.06.2010 का का.जा.सं. 1/6/2008- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) और दिनांक 20.01.1993 का का.जा.सं. 1/21/1991- पी एंड पी डब्ल्यू (ई) का संदर्भ ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद वृद्ध माता-पिता और निःशक्त बच्चे/सहोदर को संशोधित पेंशन अदायगी आदेश जारी करने में झेली जाने वाली परेशानियों के बारे में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में कई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं ।

2. इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी/ पेंशनभोगी/ कुटुंब पेंशनभोगी किसी भी समय सेवानिवृत्ति/ कर्मचारी की मृत्यु से पहले या बाद में नीचे दिए गए सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 54 में निहित प्रावधानों के अनुरूप स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/सहोदर को आजीवन कुटुंब पेंशन प्रदान करने का अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करने का नियुक्ति प्राधिकारी को अनुरोध कर सकता है :

उपनियम 6 (iv) का परंतुक (iv) : ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुंब पेंशन अनुज्ञात करने के पूर्व मंजूरी देने वाला प्राधिकारी यह समाधान कर लेगा कि असमर्थता ऐसी प्रकृति की है जिससे वह बच्चे अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं कर सकता है और इस बात के साक्ष्य स्वरूप चिकित्सा अधीक्षक अथवा संस्था के प्रधानाचार्य अथवा निर्देशक अथवा प्रमुख अथवा उनके नाम-निर्देशिती तथा दो अन्य सदस्यों, जिनमें से कम से कम एक उस मानसिक अथवा शारीरिक निःशक्तता, मानसिक मंदता सहित, के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, के चिकित्सा बोर्ड का प्रमाणपत्र लिया जाएगा, जिसमें जहां तक संभव हो, बच्चे की सही मानसिक या शारीरिक दशा का उल्लेख किया जाएगा;

उपनियम 10 (ख) : आश्रित निःशक्त सहोदर को कुटुंब पेंशन संदेय होगी यदि सहोदर मृत सरकारी सेवक की उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व सरकारी सेवक पर आश्रित था और मृत सरकारी सेवक की कोई विधवा या पात्र बच्चे या पात्र माता-पिता जीवित नहीं है ।

3. उपनियम (10-क) (नीचे प्रस्तुत) के अनुसार माता-पिता को कुटुंब पेंशन प्रदान करने की अग्रिम अनुमति के लिए कार्यालय प्रमुख से अनुरोध किया जा सकता है ।

उपनियम 10 क (क) : माता-पिता को कुटुंब पेंशन देय होगी यदि माता-पिता, सरकारी सेवक की अपनी मृत्यु के ठीक पूर्व उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों और मृत सरकारी सेवक का कोई विधवा या पात्र बच्चे जीवित न हो ।

(ख) : कुटुंब पेंशन, जब कभी माता-पिता को अनुज्ञय हो, मृत सरकारी सेवक की मां को संदेय होगी जिसके न हो सकने पर मृत सरकारी सेवक के पिता को संदेय होगी ।

4. इस प्रकार का अनुरोध स्वीकार कर लेने पर, कार्यालय प्रमुख उनकी बारी के अनुसार ऐसे बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता को कुटुंब पैशन प्रदान करने लिए तत्काल मंजूरी आदेश जारी करेगा। निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता को कुटुंब पैशन प्रदान करने के लिए किसी और अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के अनुरोधों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय प्रमुख और वेतन एवं लेखा अधिकारी कर्मचारी/ पैशनभोगी की सेवा पुस्तिका और पैशन फाइल में ऐसे निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता के विवरण रखेंगे। इस अनुमोदन के आधार पर, स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता को उचित समय अर्थात् पैशनभोगी की मृत्यु के बाद और/ अथवा कुटुंब पैशन प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार के किसी अन्य सदस्य की मृत्यु/ अपात्रता पर पूर्व पैरा में स्पष्ट किए गए अनुसार निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता को कुटुंब पैशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

5. पति-पत्नी के अतिरिक्त कुटुंब पैशन के लिए कोई पात्र पूर्व दावेदार न होने की स्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को जारी किए जाने वाले पैशन अदायगी आदेश (पीपीओ) में स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/बच्चों/सहोदर/ और/ अथवा आश्रित माता-पिता के नाम शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में कोई नया पैशन अदायगी आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पैशन वितरण प्राधिकारी द्वारा कुटुंब पैशन निम्नलिखित क्रम और निम्नलिखित पद्धति में देय होगी :

(i) **पति-पत्नी को** - पैशनभोगी की मृत्यु पर - पैशनभोगी का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर। यह कुटुंब पैशन पति-पत्नी के मृत्यु अथवा पुनर्विवाह करने तक जारी रहेगी। निःसंतान विधवा के मामले में, नियमानुसार कुटुंब पैशन पुनर्विवाह के बाद भी जारी रहेगी।

(ii) **स्थायी निःशक्त बच्चे/बच्चों के लिए** - पति-पत्नी के निधन/ पुनर्विवाह करने पर - इस प्रकार का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने / पुनर्विवाह की सूचना दिए जाने पर। पति-पत्नी को कुटुंब पैशन रोक दी जाएगी और सीसीएस(पैशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 में निर्धारित क्रम में पैशन वितरण प्राधिकारी द्वारा स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे के लिए आजीवन अनुमत की जाएगी।

(iii) **आश्रित माता-पिता के लिए** - पहले माता, फिर पिता - जब (i) और (ii) में से दावेदार की मृत्यु हो जाती है अथवा वो अपात्र हो जाते हैं - पति-पत्नी का मृत्यु प्रमाणपत्र/ पुनर्विवाह की सूचना देने पर और/अथवा सभी स्थाई रूप से निःशक्त बच्चों का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आश्रित माता-पिता को पैशन वितरण प्राधिकारी द्वारा कुटुंब पैशन अनुमत की जाएगी। यह कुटुंब पैशन आश्रित माता-पिता के मृत्यु हो जाने तक जारी रहेगी।

(iv) **स्थाई रूप से निःशक्त सहोदर के लिए** - उपरोक्त सभी मामलों में जब कुटुंब पैशन की अदायगी मृत्यु/ पुनर्विवाह के कारण रोक दी जाती है - मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने/ पुनर्विवाह की सूचना देने पर जैसे लागू हो, स्थाई रूप से निःशक्त सहोदर को पैशन वितरण प्राधिकरण द्वारा कुटुंब पैशन अनुमत की जाएगी।


6. उपरोक्त पैरा 3 में किए गए प्राधिकरण के आधार पर उन सभी मामलों के लिए जहां सीसीएस (पैशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के अनुसार कुटुंब पैशन के अन्य पात्र दावेदार हैं, स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/बालकों/ आश्रित माता-पिता/ निःशक्त सहोदर के नाम ठीक पहले वाले पात्र कुटुंब पैशनर को जारी किए जाने वाले पीपीओ में लिखे जाएंगे। इन स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/बालकों/ आश्रित माता-पिता/ निःशक्त सहोदर को इस ठीक पहले वाले कुटुंब पैशनर की मृत्यु अथवा अपात्रता, जैसा भी मामला हो, के बाद कुटुंब पैशन देय होगी।

7. यदि पीपीओ जारी करने के बाद कुटुंब पेंशन के लिए बच्चे, माता-पिता अथवा सहोदर को प्राधिकृत किया जाता है तो ऊपर दर्शाए गए अनुसार पीपीओ में यह प्राधिकरण संशोधित प्राधिकार जारी करके किया जाएगा। संशोधित प्राधिकार सामान्य माध्यम से पेंशन संवितरण अधिकारी के पास भेजा जाएगा। पेंशन संवितरण प्राधिकारी पेंशनभोगी/पति-पत्नी/ कुटुंब के अन्य पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद, जैसा भी मामला हो, पीपीओ/ संशोधित पीपीओ नियुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन और पेंशनभोगी तथा अन्य कुटुंब पेंशनर्स के मृत्यु प्रमाणपत्र और स्व-सत्यापित आय के आधार पर स्थाई रूप से निःशक्त बच्चे/ सहोदर अथवा आश्रित माता-पिता को कुटुंब पेंशन संवितरित करना शूल कर सकता है।

8. इस प्रकार का प्राधिकरण ऐसे मामले में अमान्य हो जाएगा जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार के पीपीओ जारी/ संशोधित किए जाने के बाद कुटुंब का सदस्य बना है और पेंशनभोगी/पति-पत्नी की मृत्यु के समय निःशक्त बच्चे/ सहोदर/ आश्रित माता-पिता से पहले कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होता है। उदाहरण के लिए, एक पेंशनभोगी पहले पति-पत्नी की मृत्यु के बाद शादी/ पुनर्विवाह कर सकता/सकती है अथवा एक बच्चा गोद ले सकता/सकती है। इस प्रकार के पति-पत्नी/ बच्चे पेंशनभोगी की मृत्यु अथवा पति-पत्नी की मृत्यु/ अपात्रता के समय कुटुंब पेंशन पाने के हकदार होंगे। पेंशनभोगी के पति-पत्नी द्वारा गोद लिए गए बच्चे को मृत पेंशनभोगी के कुटुंब का संदस्य नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख द्वारा सीसीएस(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के प्रावधानों के तहत कुटुंब पेंशन दिए जाने संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

9. इन मामलों में बैंक प्राधिकारियों को कुटुंब पेंशन तत्काल मंजूर करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/ इस प्रकार बच्चों/ सहोदर/ माता-पिता के बैंक खाता खुलवा सकते हैं, पीपीओ/ संशोधित प्राधिकरण में शामिल करने के लिए कार्यालय प्रमुख को यह सूचना दे सकते हैं।

10. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के संबंध में ये निर्देश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से परामर्श के उपरांत जारी किए जाते हैं।


(सुजाशा चौधुरी)
उप सचिव

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:-

1. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, 7वां तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली (सामान्य कार्रवाई के अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थायी रूप से निःशक्त बच्चों/भाई-बहनों और आश्रित माता-पिता के प्राधिकार को शामिल करने के लिए पीपीओ के फार्मेट में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।)
2. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66 (अनुरोध किया जाता है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए स्कीम पुस्तिका में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।)
3. राष्ट्रीय ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक मंद एवं बहु निःशक्त व्यक्ति कल्याण ट्रस्ट, 16 बी, बड़ा बाजार रोड, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली- 110060 (दिनांक 6 मार्च, 2013 के कार्यालय आदेश सं. 1/67/एनएटी/2012 के संबंध में।)